न्यायालय [redacted] उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 15/2016

1. श्रीमती संध्या पत्नी श्री मुकेश कुमार उम्र बालिग जाति जैन
2. श्रीमती जया पत्नी श्री राकेश कुमार उम्र बालिग जाति जैन
3. श्रीमती रजनी पत्नी श्री अनिल कुमार उम्र बालिग जाति जैन
   निवासियान बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर। —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री मोहन पुत्र श्री लक्ष्मण जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री शंकर लाल पुत्र श्री लक्ष्मण जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
3. श्री राधेश्याम पुत्र श्री भैरू लाल जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
   दोनों निवासियान साकिन बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार बिजयनगर। —— **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:– निर्णय :– दिनांक 22.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 540 रकबा 12–13–00 प्रार्थी की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिसकी सीमा लेकर प्रार्थी एवं पडौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं0 1 से 3 के मध्य विवाद होता रहता है। प्रार्थी द्वारा उसका सीमा ज्ञान भी करवाया गया जो संतोष जनक प्रतीत नहीं होता इसलिए पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बाडी पर पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाडी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं0 527 की अराजी खसरा न0 540 रकबा 12–13–00 बीघा में प्रार्थियागण खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थियागण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को रु. 3000/– कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह मौजा बाडी स्थित अराजी न0 540 रकबा 12–13–00 बीघा का उभयपक्षान की उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बाडी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 12:07:19 IST
Reason: SelfAttested